न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 242 / 2021 अपील / डूंगरपुर (GCMS 2021/258)
पंजीयन दिनांक– 05.07.2021
निर्णय दिनांक– 05.10.2021

1. श्री हरजी पिता पूंजा डामोर, आदिवासी, निवासी गांव धरमपूरी, तहसील चिखली, जिला डूगरपुर।
2. श्री मनजी पिता पूंजा डामोर, आदिवासी, निवासी गांव धरमपूरी, तहसील चिखली, जिला डूगरपुर।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती शांति पत्नि मोगजी मीणा, आदिवासी, निवासी गांव गुंदलारा, तहसील चिखली, जिला डूंगरपुर।
2. श्री मोगजी पिता धना मीणा, आदिवासी, निवासी गांव गुंदलारा, तहसील चिखली, जिला डूंगरपुर।
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, चिखली, जिला डूंगरपुर।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री मनीष शर्मा – अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री अब्दुल हनीफ – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 **(बवक्त बहस अनुपस्थित)**
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के
प्रकरण संख्या 04 / 2019 निर्णय दिनांक 26.03.2021

निर्णय

दिनांक 05.10.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर के प्रकरण संख्या 04/2019 निर्णय दिनांक 26.03.2021 के विरूद्ध दिनांक 05.07.2021 को प्रार्थना अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट्स मौजा धरमपूरी के निवासी है तथा धरमपूरी में अपीलांट्स के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 2 बीघा के पास खसरा नम्बर 48 की बिलानाम भूमि है जिसके 5 बिस्वा पर अपीलांट हरजी का तथा 5 बिस्वा पर मनजी का कब्जा काश्त गत 40–50 वर्ष के समय से है। रेस्पोडेंट्स गांव गुंदलारा के निवासी है। वर्ष 2002 में आवंटन समिति के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपीलांट्स के कब्जे की 10 बिस्वा भूमि को मिसल नम्बर 1025/2002 के तहत आवंटन करा लिया गया है। रेस्पोडेंट्स भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नही आते है। रेस्पोडेंट्स द्वारा मौजा गुंदलारा में खसरा नम्बर 1283 रकबा 4 बिस्वा, धरमपूरी में खसरा नम्बर 158 रकबा 1 बीघा, धरमपूरी में खसरा नम्बर 243/156 रकबा 10 बिस्वा, के आवंटन तथ्य को छिपाया गया है। इसके अलावा रेस्पोडेंट्स के खाते गांव गुंदलारा के खसरा नम्बर 50 तथा खसरा 160 के कुल 5 बीघा 10 बिस्वा का आवंटन कराया गया है, इसको भी रेस्पोडेंट्स द्वारा छिपाया गया है। पैतृक भूमि को ही आंवटन के समय उल्लेख किया गया था। रेस्पोडेंट्स द्वारा गलत तथा धोखे से आवंटन कराया गया है, इसको निरस्त किया जावे। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 04/2019 दर्ज कर निर्णय दिनांक 26.03.2021 से

अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.03.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— *"हमारे द्वारा पत्रावली का तथा मौका रिपोर्ट का अवलनोकन किया गया मौका रिपोर्ट अनुसार 239/48 तथा 238/48 की दोनो भूमियां विपक्षीगण के नाम पर दर्ज है तथा 239/48 रकबा 10 बिस्वा के 3 बिस्वा पर विपक्षीगण को तथा 7 बिस्वा पर प्रार्थी हरजी का कब्जा काश्त पाया गया है। हमारे द्वारा पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि जब विपक्षीगण को भूमि का आवंटन किया गया यद्धपि विपक्षीगण द्वारा अपनी अन्य भूमियां खसरा नम्बर 1283 में 4 बिस्वा, 1493 का 10 बिस्वा, 158 का 1 बीघा, 243/156 का 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 50, 160 को 5 बीघा 10 बिस्वा के संबंध में कोई हवाला अपने आंवटन प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी का यह कथन कि मौके पर विपक्षीगण का कब्जा नहीं है पूर्णतः स्थापित नही हो पाया है क्योंकि पत्रावली पर मौजूद मौका रिपोर्ट से विपक्षीगण का कब्जा होना प्रमाणित पाया गया है। इसलिए इस तथ्य से इंनकार नही किया जा सकता कि मौके पर विपक्षीगण का कब्जा नही है। साथ ही उपरोक्त आवंटन वर्ष 2002 का है तथा प्रकरण में विपक्षीगण को खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है। ऐसी परिस्थिति में 20 वर्ष गुजरने के पश्चात् विपक्षीगण का आवंटन निरस्त किया जाना उचित नही पाता हूँ। प्रार्थीगण के तथ्य कि विपक्षीगण भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नही आते थे, तो यह तथ्य तत्कालीन भूमि आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा जांच—पडताल के पश्चात् ही आवंटन किया गया है। समस्त तथ्यों व उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर विपक्षीगण का आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नही पाता हूँ और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाता हूँ, इस कारण प्रार्थन पत्र खारिज किया जाता है।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हनीफ बवक्त बहस अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 29.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स की ओर से कथन किया कि रेस्पोडेंट्स द्वारा बार–बार भूमि का आवंटन कराया है, जबकि रेस्पोडेंट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन हेतु जो फार्म भरा है उसमें उसके द्वारा इस तथ्य को छिपाया गया तथा उसके खाते में पैतृक भूमि में मात्र 03 बीघा व 2 बीघा 01 बिस्वा भूमि हिस्से में है बताकर Misrepresent व Fraud किया है तथा कब्जे के संबंध में राजस्व कर्मचारी एवं तहसीलदार द्वारा 07 बिस्वा भूमि पर अपीलांट हरजी का कब्जा काश्त पाया गया तथा राजस्व मण्डल के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत जिसमें यह धारित किया गया है कि यदि आवंटी द्वारा तथ्यों का Misrepresent व Fraud कर आवंटन करा लिया हो तो खातेदारी अधिकार मिलने के बाद भी आवंटन निरस्त हो सकता है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही माना गया। राज्य सरकार द्वारा भूमिहीन कृषकों को निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जाता है, ताकि काश्तकार भूमिहीन नही रहे व कृषि कर सके रेस्पोडेंट द्वारा बार–बार भूमि आवंटन कराई गई है व वादग्रस्त भूमि को तथ्यों को छिपाकर आवंटन करा लिया है ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अपास्त करते

हुए रेस्पोडेंट्स को हुए आवंटन को निरस्त किाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 से 2 ने अपनी बहस में बताया कि आवंटन शुदा भूमि पर रेस्पोडेंट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांट्स जिस भूमि को इस आवंटन शुदा भूमि से अन्य खसरा नम्बर का आवंटन बता रहे है उस पर रेस्पोडेंट्स का कब्जा होने के आधार पर आवंटन हुआ है तथा तहसीलदार द्वारा धारा 91 के तहत पेनाल्टी जमा होने के आधार पर आवंटन किया गया है। रेस्पोडेंट्स गांव धरमपूरी में निवास कर रहे है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत बहाल रखा जाकर अपील अपीलांट्स खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा दिनांक 26.03.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.03.2021 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक को 05.07.2021 को प्रस्तुत हुई है, विलम्ब के लिए अपीलाण्ट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन कोविड–19 के कारण न्यायालयों में कामकाज बंद होने, लॉकडाउन होने के कारण का विवरण देते हुए सशपथ प्रस्तुत किया है। वर्णित तथ्यों, न्यायहित में विलम्ब अवधि कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम अपील में अपीलाण्ट द्वारा वर्णिज उजरात के विवेचन व बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बरूए गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में वस्तुतः अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 व 2 को वर्ष 2002 में

आवंटित ग्राम धरमपूरी की आराजी नं0 48 रकबा 1 बीघा में से आधा बीघा (10 बिस्वा) भूमि वर्ष 2002 में आवंटन के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थी अपीलाण्ट काबिज थे तथा उन्होंने ही इस भूमि को उपजाउ व योग्य बनाया। विपक्षीगण रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं है तथा भूमि पर उनका कब्जा नहीं है। विपक्षीगण अन्य ग्राम के निवासी है तथा विपक्षीगण भूमिहीन काश्तकार नहीं है। उन्होंने आवंटन **Fraud and Misrepresentation** से प्राप्त किया। अधीनस्थ न्यायला द्वारा उभय पक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 26.03.2021 प्रकरण संख्या 4/2019 से अपीलाण्ट प्रार्थी का आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन खारिज कर दिया जिससे रूष्ठ होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपीलाण्ट द्वारा जो प्रमुख आधार लिये गये हैं, वे यह है कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा है, परन्तु बवक्त आवंटन उनका कब्जा हो, यह प्रमाणित नहीं है। पश्चात्वर्ती मौका निरीक्षण में अपीलाण्ट का यदि कब्जा हो तो इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि वक्त आवंटन उनका कब्जा रहा हो एवं भूमि को धारण करने के लिए उनके पक्ष में कोई सक्षम आदेश से उनकी पात्रता अथवा नियमन का आदेश जारी किया गया हो। प्रकरण में भूमि पर यदि वे काबिज थे, तो उनके द्वारा आवंटन आवेदन क्यों नहीं किया गया, यह तथ्य भी रेकर्ड पर नहीं है। यदि प्रार्थी अपीलाण्ट उसी ग्राम के निवासी है तो उसके द्वारा आवंटन आवेदन क्यों नहीं किया गया, यह तथ्य भी स्पष्ट नहीं है। प्रकरण में **Fraud and Misrepresentation** के आधार पर है, यह स्पष्ट नहीं है। अपीलाण्ट का जहां तक यह कथन है कि आवेदन फार्म में रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के हस्ताक्षर नहीं है, यह मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी आवंटन में आवंटन के साथ आवंटी पुरूष होने की स्थिति में उसकी पत्नी का भी आवंटन में नाम लिखे जाने के सक्षम नियम एवं आदेश है। अपीलाण्ट का अन्य कथन यह है कि रेस्पोंडेण्ट भूमिहीन नहीं है

परन्तु उसकी भूमिहीन नहीं होने को लेकर उसके द्वारा कोई प्रभावी साक्ष्य जिससे उसके पास 4 हैक्टेयर से अधिक भूमि हो, प्रमाणित नहीं करवाया है। अपीलाण्ट का अन्य प्रमुख कथन यह है कि भूमि के कब्जे के संबंध में मौका रिपोर्ट में भी तहसीलदार द्वारा 7 बिस्वा जमीन पर अपीलाण्ट हरजी का कब्जा पाया गया। विधिक आवंटन की भूमि पर यदि आवंटन के 18 वर्ष बाद किसी का कब्जा भी हो तो उक्त कब्जे के कारण जो कि विधिपूर्ण आवंटी की तुलना में विधिक महत्ता नहीं रखता, के आधार पर आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अपीलाण्ट का अन्य कथन यह है कि आवंटन **Fraud and Misrepresentation** से प्राप्त किया गया हो तो खातेदारी मिलने के बाद भी आवंटन निरस्त किया जा सकता है। इस प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा **Fraud and Misrepresentation** के कोई तथ्य प्रमाणित नहीं करवाये हैं। इस कारण आवंटन के 18 वर्ष बाद व खातेदारी मिलने के बाद उक्त आवंटन निरस्त नहीं किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय किया है, उसमें हम कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर